

	non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	
7.	Status of vegetation, site quality, species composition etc.	साल, साजा, सतकठा एवं घनत्व 0.2 से 0.4 रुथल गुणवत्ता श्रेणी IV है।
8.	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any, endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	जंगली सुअर, भेड़की, सियार, लकड़बद्धा, इत्यादि वन्य प्राणी पाये जाते हैं।
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area	No
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working plan and if not, why	SCI, RDF एवं वृक्षारोपण कार्य वृत्त है।
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	No
12.	Any dependent persons/families on this land	No
13.	Any displacement of persons proposed	No
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting	No
15.	Compensatory forestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. if in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case	पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के बदले पत्र क्रमांक/मार्गिचि 0/2022/279 रीवा दिनांक 12.09.2022 से 6.50 हेक्टेक्टर वन भूमि (राजस्व भूमि) की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त प्राप्त भूमि के बदले 3.15193 हेक्टेक्टर का प्रस्ताव प्रकरण क्रमांक 145025 प्रेषित किया गया है। शेष 3.34807 हेक्टेक्टर में रकवा 1.608 हेक्टेक्टर का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मार्गिचि 0/191 दिनांक 11.01.2022 से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का समायोजन किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा का लेख किया गया है।

	the area should be more than 10 Kms.	
16.	Proposal area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms	No
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	No
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project	Government project for water supply for villagers.
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated N/A in the earlier sanction order has been complied with.	No need
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	कोई विकल्प नहीं।
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected.	हों
23.	Any other issue of significance	कुछ नहीं।
24.	Specific recommendations of the DFO with reason for approval of the project.	<p>1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 1.608 हेक्टेएर वन संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत महा प्रबंधक जल नियम मर्यादित परियोजना ई0 सिंगरौली, ग्रामीण जल प्रदाय योजना अन्तर्गत वन भूमि पाईप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।</p> <p>2. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक T क्र0 RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 एवं वन भूमि कक्ष क्र0 PF 22, 06 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।</p> <p>3. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:-</p> <p>(अ) 2.47 (9)- कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो</p>

		<p>की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।</p> <p>(ब) 2.47(10)– कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यंभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।</p> <p>4. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1–18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।</p>
--	--	--

Divisional Forest Officer

Division: Singrauli

Place:

Date:

Recommendation of DFO

1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 1.608 हेक्टर परिक्षेत्र कर्थुआ का कक्ष क्रमांक PF 873 आरक्षित वन भूमि है एवं वन परिक्षेत्र चितरंगी का कक्ष क्र 0 RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 आरक्षित वन भूमि है एवं PF 22, 06 संरक्षित वनभूमि है।
2. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 1.608 हेक्टर संरक्षण अधिनियम 1980 (2) नियम 2003 के तहत महाप्रबंधक जल निगम मर्यादित परियोजना ईलो सिंगरौली, ग्रामीण जल प्रदाय योजन अन्तर्गत वन भूमि पार्सेप लाइन बिछाने का प्रस्ताव है।
3. पूर्व में प्रस्तावित वन भूमि के बदले पत्र क्रमांक/मा०चि० / 2022/279 रीवा दिनांक 12.09.2022 से 6.50 हेक्टर वन भूमि (राजस्व भूमि) की तकनीकी स्वीकृति जारी की गयी थी। उक्त प्राप्त भूमि के बदले 3.15193 हेक्टर का प्रस्ताव प्रकरण क्रमांक 145025 प्रेषित किया गया है। शेष 3.34807 हेक्टर में रकवा 1.608 हेक्टर का कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा०चि०/191 दिनांक 11.01.2022 से वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना का समायोजन किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा का लेख किया गया है।
4. वन मण्डल सिंगरौली अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि कक्ष क्रमांक RF 14, 12, 07, 28, 35, 46 एवं वन भूमि कक्ष क्र 0 PF 22, 06 वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है।
5. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है।
 - (अ) 2.47 (9)— कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरंतरता में व्यावधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थायी भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैम्प की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जावेंगे।
 - (ब) 2.47(10)— कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तानांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
6. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान एवं अन्य (1-18) का पालन सुनिश्चित करने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। एवं अनाधिकृत अतिक्रमित क्षेत्र में पानी की पार्सेप लाइन बिछाने की अनुशंसा नहीं की जाती है।

4

(मधु व्ही० राज)

वन मण्डल अधिकारी
वन मण्डल सिंगरौली